पत्रांकः— /36/13 वां वित्त/ जि0न0नि0/2010—11 दिनांकः 27 जुलाई,2011

13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला नवाचार फण्ड हेतु राज्य स्तरीय मार्ग—निर्देशन (गाईडलाईन्स)

13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला नवाचार फण्ड के कियान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग अनुभाग भारत सरकार द्वारा 15 मार्च, 2011 को एक विस्तृत गाईडलाईन राज्य सरकार को भेजी गई है। उक्त गाईडलाईन वित्त मत्रालय की वेबसाइट www.finmin.gov.in में देखी जा सकती है। जनपद स्तर पर योजना/परियोजनाओं को स्वीकृत करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति बनायी जाती है जिसका नोटिफिके ान जिलाधिकारी अपने स्तर से जनपद स्तर पर करेंगे।

1— जिलाधिकारी— अध्यक्ष

2— मुख्य विकासअधिकारी— सदस्य सचिव

3— जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी— सदस्य/संयोजक

4— प्रस्तावित योजना/परियोजना से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी— सदस्य

5— अभिनव योजना/परियोजना के सहभागी स्वयंसेवी संस्था/अन्य— वि ोश आमंत्री सदस्य

जनपद स्तर पर निम्नानुसार उल्लेखित मार्ग—निर्दे ान (गाईडलाईन्स) के अनुसार कार्य योजना तैयार कर निदे ाक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड सरकार को भीघ्राति ीघ्र प्रेशित की जायेगी जिसे निदे ाालय एवं राज्य योजना आयोग द्वारा आव यक परीक्षण कर योजना प्रस्ताव कियान्वयन हेतु जनपदों को भेजा जायेगा। उक्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु राज्य स्तर पर निम्नानुसार "परीक्षण एवं अनुश्रवण समिति" गठित की जाती है।

1— निदे ाक, अर्थ एवं संख्या— अध्यक्ष

2— अर्थ एवं संख्या निदे ाालय के सम्बन्धित अधिकारी— सदस्य।

3— राज्य योजना आयोग के सम्बन्धित अधिकारी— सदस्य

जिला नवाचार निधि से सम्बन्धित योजना/परियोजना सम्बन्धी आव यक सूचनायें जनपदों द्वारा अनुलग्नक—1 में एकत्र कर जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदनोपरान्त निदे ाक, अर्थ एवं सख्या को अविलम्ब प्रेशित की जायेगी।

नवाचार निधि से सम्बन्धित कार्य योजना तैयार करने तथा उसके क्रियान्वयन हेतु निम्न मार्ग– दर्शिका (गाईलाईन) के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

(i)– 30 प्रतिशत धनराशि ऐसी लोक अवस्थापनाओं के गैप को पूर्ण करने हेतु व्यय की जायेगी, जिन्हें पूर्ण करने के पश्चात् उक्त अवस्थापना सुविधा की क्षमता लोकहित में बढ़ सके तथा अधिक से अधिक जनमानस योजना का लाभ ले सके।

(ii)– 70 प्रतिशत धनराशि जनपद स्तर पर चिन्हित नवाचार (Innovative) योजना/परियोजनाओं हेतु व्यय की जायेगी।

(iii)– जनपद स्तर पर जिला अभिनव फण्ड के नाम से किसी राश्ट्रीय कृत बैंक में एक संयुक्त खाता खोल लिया जाय। खाते का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं उनके कार्यालय के वित्त सम्बन्धी कार्मिक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(iv)– वहीं योजना/परियोजनाओं पर विचार किया जायेगा जो मांग आधारित हों अर्थात् क्षेत्र विशेश के जन समूह द्वारा मांग तथा सहभागिता के आधार पर तैयार की जाने वाली योजना/परियोजनाओं को लिया जायेगा।

(v)– योजना/परियोजना की कुल लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान सहभागी स्वयं सेवी संस्था/अनुसंधान केन्द्र/सहयोगी संस्थान/संगठन/अन्य द्वारा वहन किया जायेगा, जिसे योजना/परियोजना की स्वीकृत से पूर्व ही जनपद स्तर पर उक्त 10 प्रतिशत धनराशि का अंशदान सम्बन्धित सहयोगी से प्राप्त कर जिला अभिनव फण्ड खाते में जमा कर लिया जाये।

(vi)– अभिनव योजना/परियोजनाओं में ग्रामीण तकनीकी सम्बन्धी योजनायें, स्थानीय आवश्यकतानुसार तैयार की गई अभिनव योजनायें, स्थानीय विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी विद्यालयों/संस्थानों इत्यादि में अभिनव प्रायोगिक भोध, चिकित्सा तथा शिक्षा क्षत्र को गुणवत्तापरक बनाये जाने हेतु प्रस्तावित अभिनव योजनायें, स्थानीय संसाधनों का अभिनव प्रयोग करते हुए आजीविका व्यवस्था आदि ली जा सकती है।

(vii)– जिला/राज्य/राश्ट्र स्तरीय शोध सस्थानों यथा CSIR, ICAR, CBRI, NBRI, CDRI, IIP विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी संस्थान आदि की सहायता से स्थानीय आवश्यकतानुसार अभिनव योजना/परियोजनाओं के चिन्हींकरण किये जा सकते है।

(viii)–राश्ट्र में पर्यावरण संरक्षण व्यवस्था आवश्यक है, अतः लोक हित में पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का अभिनव रूप में दाहन सम्बन्धी योजना/परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।

(ix)– विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/तकनीकी विद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन कर रहें छात्र–छात्राओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु प्रि ाक्षण (इन्टर्नशिप) व्यवस्था जिससे स्थानीय युवा भविश्य में स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्वरोजगार अपना सकें।

(x)– भाहरों को स्वच्छ एवं भाुद्ध पर्यावरण बनाये रखने हेतु अपि ाश्ट प्रबन्धन सम्बन्धी नवाचार योजनाओं यथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपि ाश्ट की प्रबन्धन एवं रिसाईकल आदि नवाचार व्यवस्था।

(xi)– स्थानीय जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि को कम लागत एवं अभिनव तकनीकी के आधार पर अनुकूलतम (Optimum) उपयोग में लाने हेतु अभिनव योजनायें।

(xii)– जल, जंगल, जमीन का स्थानीय आव यकतानुसार Optimum उपयोग हेतु अभिनव योजनायें।

(xiii)– उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रभावी एवं लोक हित की अभिनव योजना/परियोजना।

(xiv)– योजना/परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रति ात की धनरा ि सम्बन्धित संस्था/विभाग आदि को उपरोक्त बिन्दु–V से सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण कर उपलब्ध कराई जायेगी, जबकि भोश धनरा ि कार्य के यथाव यक त्वरित मूल्यांकन के प चात् उपलब्ध कराई जायेगी।

उपरोक्त मार्ग–दि ाका (गाईडलाईन्स) में भारत सरकार द्वारा प्रेशित गाईडलाईन्स के आधार पर तैयार की गई राज्य स्तरीय गाइडलाईन है। उक्त गाईलाईन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के अनुश्रवण, मूल्यांकन इत्यादि की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई गाईडलाईन्स के आधार पर की जायेगी।

(वाई0एस0पांगती)
निदे ाक,
अर्थ एवं संख्या